

[2023] 3 एस.सी.आर 175

काशीबाई और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील सं. 627/2023)

28 फरवरी, 2023

**[न्या. अजय रस्तोगी और न्या. बेला एम. त्रिवेदी]**

दंड संहिता, 1860- के उप-धारा 498क, 306 सहपठित 34- अपीलार्थीगण- अभियुक्तों को धारा 498क, 306 सहपठित 34 के तहत दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई- अभिनिर्धारित: अपीलार्थीगण के कहने पर मृतक को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा- अभियोजन पक्ष ने धारा 498 क, 306 सहपठित 34 के तहत अपराध के लिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया है। हालाँकि, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा कि अपीलार्थीगण ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया-केवल आत्महत्या करने का तथ्य न्यायालय के लिए साक्ष्य अधिनियम, धारा 113क की धारणा को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और अभियुक्त को धारा 306 का दोषी ठहराना।- अभिलेख पर किसी भी संतोषजनक साक्ष्य की अनुपस्थिति में, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अपीलार्थीगण को धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की। – अपीलार्थीगण 498 क के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है, हालांकि उन्हें धारा 306 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है उन्हें संदेह का लाभ देकर-इसके अलावा, क्योंकि अपीलार्थी पहले ही 498 क सहपठित 34 के तहत अपराध के लिए दो साल के कारावास से गुजर चुके हैं। जैसा कि नीचे दी गई न्यायालयों द्वारा निर्देश दिया गया है, तुरंत मुक्त किया जाएगा-साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 113 क।

दंड संहिता, 1860- उप-धारा 306, 107-अभिनिर्धारित: धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए, अपराध के मूल घटक अर्थात् जहां मृत्यु आत्महत्या थी और क्या आरोपी की ओर से कोई उकसावा था जैसा कि धारा 107 में विचार किया गया है, स्थापित किया जाना चाहिए- इसके अलावा, मामले को 'उकसाने' के दायरे में लाने के लिए धारा 107 के तहत, आरोपी की ओर से उकसाने, साजिश या जानबूझकर सहायता के संबंध में एक सबूत होना

चाहिए- धारा 306 के तहत आरोप साबित करने के लिए, आरोपी की ओर से किसी व्यक्ति को उकसाने या मदद करने के लिए सकारात्मक कार्य के संबंध में भी एक सबूत होना चाहिए।

एम. मोहन बनाम उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा राज्य (2011) 3 एससीसी 626 : [2011] 3 एससीआर 437; मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य (2014) 12 एससीसी 595 : [2014] 4 एससीआर 988 - पर भरोसा ।

### निर्णयज विधि संदर्भ

[2011] 3 एससीआर 437 में पैरा 9 पर भरोसा किया गया है

[2014] 4 एससीआर 988 में पैरा 15 पर भरोसा किया गया है

आपराधिक अपील अधिकार क्षेत्र: दाण्डिक अपीलीय 627/2023

आप.अ. सं. 200027/2014 में कालाबुरागी में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 06.03.2021 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री अफशान प्राचा, प्रकाश जाधव, अनिरुद्ध संगनेरिया, रविचंद्र जाधव, अधिवक्तागण। अपीलार्थीगण के लिए।

शुभांशु पाधी, विशाल बंसल, सुश्री राजेश्वरी शंकर, नीरोप सुकीर्ति, मो. ओवैस, अधिवक्ताग। प्रत्यर्थी के लिए।

**न्या. बेला एम. त्रिवेदी,**

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. आपराधिक अपील सं. 200027/2014 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, कालाबुरागी पीठ द्वारा पारित दिनांकित 06.03.2021 के निर्णय और आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने सत्र मामले सं.5/2011 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बीजापुर (इसके बाद "सत्र न्यायालय" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 11.02.2014 के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपीलार्थीगण-अभियुक्तों द्वारा दायर उक्त अपील को खारिज कर दिया है। सत्र न्यायालय ने उक्त निर्णय और आदेश के माध्यम से वर्तमान अपीलार्थी यानी अभियुक्तों स. 1, 2 और 3, को भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित

धारा. 498 क और धारा 306 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी और अभियुक्त स.4 कल्लप्पा जंगमशेट्टी के पुत्र संतोष जंगमशेट्टी, जो मृतक जयश्री के देवर था, उक्त आरोपों से बरी हो गए।

3. मृतक जय श्री ने कथित घटना से लगभग तीन साल पहले ,चंद्रशेखर, अपीलार्थी सं.3 से शादी की थी। अपीलार्थी सं.1 और 2 क्रमशः उक्त मृतक की सास और ससुर थे। श्रीमती अन्नपूर्णा, मृतक की मां, सदाशिव लिम्बिकई की पत्नी ने बबलेश्वर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि अन्य बातों के साथ साथ कि उनकी बेटी जयश्री की शादी आरोपी सं. 3, चंद्रशेखर से हुई थी। शादी के बाद, उसके सास-ससुर, देवर और उसके पति ने जयश्री के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दहेज की माँग के कारण बुरा व्यवहार किया। इस तरह के उत्पीड़न के कारण उनकी बेटी जयश्री ने लीगानीबिदारी गाँव में सर्वेक्षण संख्या 53/4 वाले भूमि वाले एक खुले कुएँ में कूदकर लगभग 11:00 बजे दिनांक 07.02.2010 पर आत्महत्या कर ली थी। उक्त शिकायत भा.दं.सं. सी. की धारा 304 के साथ पठित धारा 498क और 306 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त के खिलाफ दर्ज की गई। सत्र न्यायालय ने मुकदमा चलाया और अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने के बाद, अपीलार्थीगण को उक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई और भा.दं.सं. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 498क के तहत अपराधों के लिए प्रत्येक को 2,000/- रुपये और भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित धारा 306 के तहत अपराधों के लिए पांच साल की अवधि के लिए साधारण कारावास और प्रत्येक को 5,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के अनुसार उक्त दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को अच्छी तरह द्वारा देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण-

अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए 21 गवाहों की जांच की थी और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। लेकिन 21 साक्षी में से अभि स. -10, अभि स. -11, अभि स. -12 और अभि स. -14 मुकर गए थे और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से अभि स. -1 और अभि स.-4 पर निर्भर था जो मृतक के माता-पिता थे और अभि स. -6 जो मृतक के चाचा थे। उन सभी ने नकद और सोने के रूप में दहेज की मांग और उनके द्वारा मृतक को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने के बारे में बयान दिया था। अभि स. -5 जो दोनों पक्षों के लिए ज्ञात व्यक्ति था और जिसने मृतक और अपीलार्थी सं. 3 के बीच विवाह की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ने यह भी बयान दिया था कि अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त सोने और नकदी की मांग की गई थी और अपीलार्थीगण द्वारा मृतक जयश्री को परेशान किया गया था। पड़ोसियों, अभि स. -7 और अभि स. -9 ने भी अन्य बातों के साथ साथ यह बयान देकर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था कि मृतक को अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।

5. उक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जिसे सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी सराहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक को अपीलकर्ता-अभियुक्त के कहने पर उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था और अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सफलतापूर्वक ध्यान में लाए जहाँ तक भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित धारा 498 क के तहत अपराध का संबंध था। हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराध के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था।

6. इस मोड़ पर, आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित भा.दं.सं. की दुष्प्रेरण 306 में निहित प्रासंगिक प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना लाभदायक होगा।

**“306.** आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण- यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, वह दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।”

7. धारा 107 में "किसी चीज़ का दुष्प्रेरण" क्या है, इसका वर्णन किया गया है जो नीचे दिया गया है:-

“107. एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में सहायता करता है, जो-

*पहले*— किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है; या

*दूसरा*— उस कार्य को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलता है, यदि उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या

*तीसरी बात*— जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक से उस कार्य को करने में सहायता करता है।

*स्पष्टीकरण 1.*— एक व्यक्ति जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी काम को करने का कारण बनता है या प्राप्त करता है, या करने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, कहा जाता है कि वह उस काम को करने के लिए उकसाता है।”

8. उक्त प्रावधानों को केवल पढ़ने से, यह स्पष्ट रूप से पताचलता होता है कि भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, अपराध के मूल घटक अर्थात् जहां मृत्यु आत्महत्या थी और क्या आरोपी की ओर से कोई दुष्प्रेरण था जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 107 में विचार किया गया है, यह स्थापित करना होगा।

9. **एम. मोहन बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व उप पुलिस अधीक्षक<sup>1</sup> द्वारा किया जाता है**, इस न्यायालय ने विस्तार भा.दं.सं. की धारा 107 के साथ पठित

धारा 306 में निहित प्रावधानों विस्तृत रूप से विचार किया और पहले के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करने के बाद निम्नानुसार देखा गया है:-

**"41. रमेश कुमार** [(2001) 9 एससीसी 618: 2002 एससीसी (सीआरआई) 1088] के पैरा एससीसी 20 में यह न्यायालय: ने "उकसाने" के विभिन्न अर्थ की जांच की है। पैरा 20 इस प्रकार है:(एस. सी. सी. पी. 629)

**"20.** उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, भड़काना या 'एक कार्य' करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो उकसाने का गठन करता है वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए। फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की थीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस मामले में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था। वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना क्रोध या भावना के अनुरूप बोले गए शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता है।"

उक्त मामले में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य और सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसमें अपीलार्थी-अभियुक्त की सीमा (अपीलार्थी की पत्नी) द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला जा सके।

**42. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जैसवाल** [(1994) 1 एस.सी.सी. 73:1994 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 107] में इस न्यायालय ने आगाह किया है कि (एस.सी.सी. पृष्ठ 90, पैरा 17) न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और विचारण में पेश किए गए साक्ष्य का आकलन करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़ित के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था। यदि न्यायालय के समक्ष यह प्रतीत होता है कि आत्महत्या करने वाला कोई पीड़ित सामान्य कलह, लड़ाई और घरेलू जीवन में अंतर के प्रति अतिसंवेदनशील था, उस समाज के लिए काफी सामान्य था, जिससे पीड़ित संबंधित था और इस तरह के कलह, लड़ाई और मतभेद से किसी दिए गए समाज में इसी तरह की परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं थी, तो न्यायालय की अंतरात्मा को ऐसा इस

निष्कर्ष के आधार पर संतुष्ट किया नहीं करना चाहिए कि आत्महत्या के अपराध के लिए उकसाने के लिए आरोपी को दोषी पाया जाना चाहिए।

**43.** यह न्यायालय *चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार)* [(2009) 16 एस.सी.सी. 605: (2010) 3 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 367] के मामले में दुष्प्रेरण के इस पहलू पर विचार करने का अवसर था। न्यायालय ने "भड़काना" और "उकसाने" शब्द के शब्दकोश अर्थ पर विचार किया। न्यायालय ने राय दी बाद वाले द्वारा किसी कार्य को करने के लिए उकसाने, भड़काना या प्रोत्साहित करने का इरादा होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति दूसरों से अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्मसम्मान का अपना विचार होता है। इसलिए, ऐसे मामलों से निपटने के लिए किसी भी स्टैट्यूट सूत्र को निर्धारित करना असंभव है। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है।

**44.** दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने की मानसिक प्रक्रिया या जानबूझकर किसी कार्य को करने में सहायता करना शामिल होता है। आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से एक सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

**45.** विधायिका की मंशा और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध आदेश के लिए एक स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होना चाहिए। इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक ने कोई विकल्प न देखने पर आत्महत्या कर ली और इस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना होना चाहिए कि उसने आत्महत्या कर ली।"

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मामले को भा.दं.सं. की धारा 107 के तहत 'दुष्प्रेरण' के दायरे में लाने के लिए, आरोपी की ओर से उकसाने, साजिश या जानबूझकर सहायता के संबंध में एक सबूत होना चाहिए। भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत आरोप साबित करने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए आरोपी की ओर से सकारात्मक कार्य के संबंध में भी एक सबूत होना चाहिए।

11. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने गवाहों से पूछताछ करके यह साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की मांग की थी कि मृतक ने अपीलकर्ता-अभियुक्त के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की थी। अभि स. -21 डॉ. जयश्री मसाली, जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था, ने अपने बयान में मृतक के शरीर पर पाए गए घावों के बारे में बताया था जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (दस्तावेज-14) में उल्लेख किया गया है। उनकी अंतिम राय के अनुसार, मृत्यु का कारण "श्वासावरोध के परिणामस्वरूप डूबना" था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उसके साक्ष्य से कुछ भी सामने नहीं आता है कि मृत्यु आत्महत्या थी या नहीं। अभि स.-1 अन्नापूर्णा लिम्बिकई, जो कि माँ थी, ने हालांकि अपने जाँच-प्रमुख में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी की हत्या आरोपी ने उसे कुएं में फेंक कर की थी, उसने स्वीकार किया था कि जब वह मौके पर पहुंची तो उसने अपनी बेटी का शव कुएं में नहीं देखा था। उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने अपनी शिकायत में यह नहीं कहा था कि उसकी बेटी ने आरोपी द्वारा किए गए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के कारण कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस मोड़ पर उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और लोक अभियोजक को उससे जिरह करने की अनुमति दी गई। जिरह में उसने कहा था कि उसे घटना याद नहीं है क्योंकि यह बहुत पहले हुई थी। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे की जिरह में उसने स्वीकार किया था कि अभियुक्त सं.3 ने उसे टेलीफोन पर सूचित किया था कि उसकी बेटी-जयश्री गलती से फिसल गई थी, और इसके परिणामस्वरूप वह लगभग 12 बजे कुएं में गिर गई थी। उसने यह भी कहा कि जब वह, उसके पति, अन्य रिश्तेदार और पड़ोसी शाम करीब 4.30 चार बजे घटना स्थल पर गए तो उन्होंने शव को कुएं में तैरते नहीं देखा था।

12. मृतक के पिता अभि स.-4 सदाशिव लिम्बिकई ने भी न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी-जयश्री ने आत्महत्या

की थी या आरोपी ने उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया था। अभि स.-5 रुद्रगौड़ा पाटिल, जिन्होंने आरोपी नं.3 के साथ शादी की व्यवस्था करने में सहायक थे, ने कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि जयश्री कुएं में कैसे गिर गई थी। अभि स.-6 गंगप्पा लिमीबिकाई, जो मृतक के चाचा थे, को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि मृतक कुएं में कैसे गिर गई। जिरह में उसने स्वीकार किया था कि जब शव को कुएं से निकाला गया तो चारों आरोपी कुएं के पास मौजूद थे। संक्षेप में, अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों में से किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मृतक ने कुएं में छलांग लगा दी थी या वह दुर्घटनावश कुएं में फिसल गई थी।

13. अभि स.-21 डॉ. जयश्री मसाली ने हालांकि कहा था कि मृतक की मौत दम घुटने के परिणामस्वरूप डूबने से हुई थी, न ही उनके द्वारा कोई राय दी गई थी और न ही उनसे कोई राय मांगी गई थी कि क्या यह मृतक द्वारा की गई आत्महत्या थी या यह एक दुर्घटना थी जिससे वह कुएं में गिर गई थी। भले ही यह माना जाता है कि मृतक ने आत्महत्या कर ली थी, अभियोजन पक्ष द्वारा इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया था कि किसी भी आरोपी की ओर से उकसाया गया था जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था। यह दिखाने के लिए नाम के लायक कोई सबूत नहीं है कि किसी भी अपीलार्थी-अभियुक्त ने या तो मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था या दुष्प्रेरण की थी या उकसाया था या भा.दं.सं. की धारा 107 के तहत कोई दुष्प्रेरण था।

14. हालांकि यह सच है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क के अनुसार, जब यह सवाल उठता है कि क्या किसी महिला द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उकसाया था, और जब यह पता चलता है कि उसने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया था, तो न्यायालय अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह

मान सकती है कि इस तरह की आत्महत्या के लिए उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उकसाया था। हालाँकि, न्यायालय के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 क के तहत अनुमान लगाने और आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 306 का दोषी ठहराने के लिए केवल आत्महत्या करने का तथ्य ही पर्याप्त नहीं होगा।

15. **मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य**<sup>2</sup> में, यह न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क के तहत अनुमान के आलोक में भा.दं.सं. की धारा 498 क और 306 के प्रावधानों पर विचार कर रहा है। जो निम्नानुसार देखा गया:-

**“30.** हमारा विचार है कि केवल यह तथ्य कि यदि कोई विवाहित महिला अपनी शादी के सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर लेती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के तहत धारणा स्वचालित रूप से लागू नहीं होगी। विधायी अधिदेश यह है कि जहां कोई महिला अपने विवाह के सात वर्षों के भीतर आत्महत्या करती है और यह दिखाया जाता है कि उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया है, तो भा.दं.सं. की धारा 498-क के तहत परिभाषित अनुमान, मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागू हो सकता है कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा दुष्प्रेरण किया गया है। "न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि इस तरह की आत्महत्या उसके पति द्वारा की गई थी" यह शब्द इंगित करेगा कि यह धारणा विवेकाधीन है। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सफल नहीं हुआ है कि दहेज की मांग की गई थी, और न ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपनाया गया तर्क यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त होगा ताकि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के तहत आ सके।

**31.** इस संबंध में, हम *हंस राज बनाम हरियाणा राज्य* [(2004) 12 एस.सी.सी. 257: 2004 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 217], में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क और धारा 306, 107, 498-क, आदि के दायरे की जांच की है और यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के विपरीत, एक वैधानिक अनुमान केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क में उल्लिखित परिस्थितियों के प्रमाण पर कानून के संचालन से उत्पन्न नहीं होता है। इस न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य

अधिनियम की धारा 113-क के तहत, अभियोजन पक्ष को पहले यह स्थापित करना होगा कि संबंधित महिला ने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली है और उसके पति ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया है। भले ही वे तथ्य स्थापित हो गए हों, लेकिन न्यायालय यह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि उसके पति ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया है। इसलिए, धारा 113-क, न्यायालय को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की धारणा को बनाने का विवेकाधिकार देती है, जिसका अर्थ है कि जहां आरोप क्रूरता का है, वह भा.दं.सं की धारा 498-क में "क्रूरता" शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए क्रूरता की प्रकृति पर विचार कर सकती है जिसकी महिला शिकार हुई थी।

16. जहाँ तक तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का संबंध है, हमारी राय में अभियोजन पक्ष कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है ताकि न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सके कि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। अभिलेख पर कोई संतोषजनक साक्ष्य लाए जाने की अनुपस्थिति में, हमारी राय में नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत अपराध का दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की थी।

17. मामले के उस दृष्टिकोण में धारा 498क के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, हम अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देकर भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करते हैं। चूंकि अपीलार्थीगण भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित धारा 498-क के तहत अपराध के लिए पहले ही दो साल की अवधि के लिए कारावास से गुजर चुके हैं, जैसा कि नीचे दी गई न्यायालयों द्वारा निर्देश दिया गया है, इसलिए अपीलार्थीगण को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

18. तदनुसार अपील को आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायक: भव्यता कपूर, एलसीआरए)

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Disclaimer:** The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.